

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 230/2017

1. उम्मेद पुत्र माला जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. कुल्डा पुत्र श्री माला जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. पूर्ण पुत्र श्री माला जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. बिमला पुत्री नारायण पतनी मोहन जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राजस्थान)
4. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अजाडीकलां जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. तहसीलदार नवलगढ

—प्रतिवादीगण

**दावा— स्थाई व्यादेश व विभाजन
निर्णय**

निर्णय दिनांक 23.10.2019

वाद वादीगण दिनांक 31.05.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2019/552 दिनांक 4.4.19 प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बुगाला की भूमि ख.नं. 922/0.06, 948/1.35, 949/1.31, किता 2 कुल रकबा 2.72 है० का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:—

1. ग्राम बुगाला की भूमि ख.नं. 948/0.05, 949/1.31 किता 2 कुल रकबा 1.36 है० का विमला पत्नी श्री मोहन जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तन धमोरा सा.दे.खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बुगाला की भूमि ख.नं. 922/0.02, 948/1/0.42, 948/2/0.06 किता 3 कुल रकबा 0.45 है० का उम्मेद पुत्र माला जाति जाट सा.देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम बुगाला की भूमि ख.नं. 922/1/0.02, 948/5/0.30, 948/7/0.13, कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है० का कुरड़ा पुत्र माला जाति जाट निवासी सा.देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम बुगाला की भूमि खसरा नम्बर 948/4/0.01, 948/6/0.42, 922/2/0.02 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 हैक्टेर का पूर्ण पुत्र माला जाति जाट निवासी सा. देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम बुगाला की भूमि खसरा नम्बर 948/3 रकबा 0.01 हैक्टेर का कुरड़ा पूर्ण पिता माला जाति जाट सा. देह खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को नवलगढ न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

16.9.19 को पेश हो